न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : अरूण पुरोहित आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 241/2017

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
1– कन्हैयालाल पुत्र शुभकरण 2– गौतमचंद पुत्र शुभकरण 3– नीलमचंद पुत्र शुभकरण जातियान महाजन निवासीगण बावडी, तहसील बावडी, जिला जोधपुर		1– महावीरचंद पुत्र सायरचंद 2– विनोद पुत्र सायरचंद 3– पारसमल पुत्र सायरचंद सभी जातियान महाजन निवासीगण बावडी तहसील बावडी जिला जोधपुर 4– ग्राम पंचायत बावडी जरिये सरपंच

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश तहसीलदार बावडी द्वारा प्रकरण संख्या 3/2013 अनवान गौतमचंद बनाम महावीरचंद मे दिनांक 26–2–2016 को पारित किया गया, जिसके द्वारा नामांतरकरण संख्या 891 ग्राम बावडी चक द्वितीय को यथावत रखे जाने का आदेश पारित किया गया ।

उपस्थितिः–

1–श्री बाबूलाल विश्नोई अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।
2–श्री रोशनलाल अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 की ओर से ।
3–श्री धर्मेन्द्र सुराणा अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 2 की ओर से ।
4–शेष रेस्पो0 बावजुद तामिल के अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांक 8–2–2021

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि गांव बावडी चक II के नामांतरकरण संख्या 36 मे वर्णित कुल 16 खसरा नंबरान की कुल 93 बीघा भूमि सायरचंद पुत्र झूमरलाल कौम महाजन सा0 देह के खातेदारी की थी । उक्त म्युटेशन संख्या 36 खातेदार सायरचंद के फोत होने पर उसके वारिसान पुत्र, (वर्तमान अपील के रेस्पो0 संख्या 1 से 3 पुत्रो) पत्नी एवं (वर्तमान अपीलांट संख्या 1 से 3 पोतो) के नाम दर्ज करते हुए सरपंच ग्राम पंचायत बावडी द्वारा पंचायत प्रस्ताव संख्या 1 दिनांक 20–9–2001 को स्वीकृत किया गया ।

उक्त म्युटेशन संख्या 36 से असंतुष्ट होकर वर्तमान रेस्पो0 संख्या 1 व 2 ने उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ के समक्ष एक अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत पेश की जिसमे मृतक खातेदार सायरचंद द्वारा उनके पक्ष मे एक वसीयत दिनांक 28–7–94 को करना बताया तथा उपरोक्त खातेदारी की भूमि वसीयत के आधार पर उनके नाम दर्ज करने की इस्तदुआ की । जिस पर उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ ने उनके निर्णय दिनांक 4–4–2011 के द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत प्रथम अपील को स्वीकार करते हुए सरपंच ग्राम पंचायत बावडी द्वारा नामांतरकरण संख्या 36 पर पारित स्वीकृति आदेश दिनांक 20–9–2001 को खारीज करते हुए प्रकरण तहसीलदार भोपालगढ को उक्त अपीलाधीन भूमि का नामांतरकरण अपीलांटगण (वर्तमान रेस्पो0 संख्या 1 व 2) के

अति० सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

पक्ष मे वसीयतनामा दिनांक 28–7–94 के अनुसार दर्ज करने की कार्यवाही करने हेतु प्रतिप्रेषित किया ।

उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ द्वारा पारित किये गये निर्णय दिनांक 4–4–2011 के विरूद्ध द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत वर्तमान अपीलांटगण ने न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जोधपुर के समक्ष प्रस्तुत की थी जिसके अपील संख्या 126/2012 पडे तथा उक्त अपील का निर्णय दिनांक 7–1–2013 के द्वारा स्वीकार करते हुए उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ द्वारा पारित किया गया अपीलाधीन निर्णय दिनांक 4–4–2011 निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार भोपालगढ को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया कि अपीलांट्स एवं रेस्पो0 को सुनवाई एवं साक्ष्य सबूत एवं दस्तावेजात आदि प्रस्तुत करने का समुचित अवसर देते हुए उक्त वादग्रस्त भूमि के संबंध मे पुनः नये सिरे से विधिसम्मत नामांतरकरण की कार्यवाही करें ।

जिसके क्रम मे तहसीलदार बावडी ने प्रकरण संख्या 3/2013 अनवान गोतमचंद पुत्र शुभकरण वगैरा बनाम महावीरचंद पुत्र सायरचंद वगैरा दर्ज कर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 26–2–2016 के द्वारा प्रार्थीगण (अपीलांटगण) का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नही मानते हुए वसीयतनामे के आधार पर पूर्व मे दर्ज मौजा बावडी चक II के नामांतरकरण संख्या 891 मे किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नही मानते हुए राजस्व रेकर्ड मे मौजुदा स्थिति को यथावत रखे जाने के आदेश पटवारी हल्का, बावडी चक II को पारित किये गये । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलांटगण ने वर्तमान अपील इस न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

उभयपक्ष के अधिवक्ता उपस्थित । वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई । वकील अपीलांट ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए अपनी बहस मे कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलौच्य आदेश दिनांक 26–2–2016 विधिविरूद्ध एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यो व दस्तावेजो के विपरीत होने से निरस्त योग्य है । वकील अपीलांट ने अपनी बहस मे कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बावडी ने न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जोधपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 7–1–2013 मे दिये गये विवेचन, विश्लेषण एवं निर्देशो की पालना किये बिना तथा वसीयत का प्रमाणीकरण करवाये बिना जो निर्णय पारित किया गया है, जो निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस मे कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बावडी ने मात्र इस आधार पर अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया कि वसीयत को आज भी निरस्त नही करवाया है जबकि वसीयत पंजीबद्ध दस्तावेज नही है एवं विधि अनुसार प्रमाणीकरण करवाया जाना आवश्यक है ।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने आलौच्य आदेश

अति० संभागीय आयुक्त
जोधपुर

केवल सुशीला पुत्री सायरचंद के बयानो पर विश्वास करते हुए पारित किया है जबकि सुशीला से जिरह का कोई अवसर प्रदान नही किया इसलिए विधि अनुसार उक्त साक्ष्य ग्राह्य योग्य नही होने से अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बावडी ने इसी प्रकरण संख्या 3/2013 मे दिनांक 8–4–2013 को आदेश पारित करते हुए मौजा बावडी चक II के नामांतरकरण संख्या 891 को निरस्त कर दिया था तथा अपीलाधीन नामांतरकरण संख्या 36 को यथावत रखने बाबत आदेश पारित कर दिये थे तथा पत्रावली निर्णित हो चुकी थी तथा उक्त आदेश दिनांक 8–4–2013 को किसी न्यायालय मे चुनोती नही दी है अथार्त उक्त आदेश के आज भी प्रभाव मे रहते तहसीलदार बावडी ने अपने ही आदेश को रिव्यू करते हुए दिनांक 26–2–2016 को दुसरा आदेश पारित कर दिया जिसमे पूर्व के आदेश को पलटते हुए नामांतरकरण संख्या 891 को बहाल रखने बाबत आदेश पारित कर दिया ।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि तहसीलदार को उनके द्वारा पूर्व मे पारित आदेश को रिव्यू कर पलटने का अधिकार नही है फिर भी उनके द्वारा अपने आदेश को रिव्यू करते हुए जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त योग्य है ।

अंत मे वकील अपीलांट ने उक्त अपील को स्वीकार करने तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय दिनांक 26–2–2016 को निरस्त करने का निवेदन किया तथा यह भी कथन किया कि दिनांक 8–4–2013 का आदेश आज भी प्रभाव मे है जिसे किसी न्यायालय मे चुनौती नही दी गई है इसलिए उक्त आदेश दिनांक 8–4–2013 के बाद के सभी आदेशो को निरस्त करने का निवेदन किया अथवा विकल्प मे अपीलाधीन निर्णय दिनांक 26–2–2016 को निरस्त करते हुए प्रकरण पुनः अधीनस्थ न्यायालय को पक्षकारो की विधिवत पक्षकारो की सुनवाई कर, उनके बयानात आदि कलमबद्ध कर तथाकथित वसीयत को विधिवत प्रमाणिकरण करवाकर पुनः नये सिरे से नामांतरकरण की कार्यवाही हेतु प्रतिप्रेषित करने का निवेदन किया । रेस्पो0 की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने अपीलांट अधिवक्ता की बहस के प्रत्युत्तर मे कथन किया कि उक्त प्रकरण बार–बार रिमाण्ड करने की बजाय इसी न्यायालय से अंतिम निर्णय पारित किया जाना न्यायोचित होगा ।

वकील रेस्पो0 ने अपीलांट अधिवक्ता की बहस के प्रत्युत्तर मे कथन किया कि अपीलांट उक्त अपील मे केवल दिनांक 26–2–2016 को ही खारीज करने की इस्तदुआ कर सकते है, दो आदेशो की एक अपील नही हो सकती है इसलिए अपीलाधीन आदेश दिनांक 26–2–2016 एवं इसके पूर्व के आदेश दिनांक 8–4–2013 को निरस्त कर प्रकरण को रिमाण्ड करने का जो कथन है, विधिसम्मत

अति० सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

नही है ।

वकील रेस्पो0 ने अपनी बहस मे यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय मे अपीलांट की ओर से अधिवक्ता उपस्थित थे तथा उनको सुनकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 26–2–2016 पारित किया है, जो विधिसम्मत होने से अपीलांट की उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

अंत मे वकील रेस्पो0 ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये उक्त निर्णय को विधिसम्मत बताते हुए अपीलांट की उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली, उसमे उपलब्ध दस्तावेजात, प्रस्तुत प्रकरण के संबंध मे पूर्व न्यायालयो द्वारा पारित किये गये आदेशो जिसमे न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जोधपुर द्वारा अपील संख्या 126/2012 मे पारित निर्णय दिनांक 7–1–2013 जिसके द्वारा प्रकरण तहसीलदार को अपीलांट एवं रेस्पो0 को सुनवाई एवं साक्ष्य सबूत एवं दस्तावेज आदि प्रस्तुत करने का समुचित अवसर देते हुए पुनः विधिसम्मत नामांतरकरण की कार्यवाही के निर्देश के रिमाण्ड किया था । जिसकी अनुपालना मे अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बावडी द्वारा सम्पन्न की गई कार्यवाही तथा तहसीलदार बावडी द्वारा पारित आदेश दिनांक 8–4–13 एवं तहसीलदार बावडी द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 26–2–2016 आदि का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया ।

वर्तमान मामले मे अपीलाधीन भूमि के कुल 16 खसरान की 93 बीघा भूमि खातेदार सायरचंद पुत्र झूमरलाल के खातेदारी की थी तथा उसके फोत होने पर उसके भूमि के संबंध मे उतराधिकार का नामांतरकरण संख्या 36 मृतक खातेदार सायरचंद के समस्त विधिक उतराधिकारियो पुत्र, पोते एवं पत्नी के नाम दर्ज कर सरपंच ग्राम पंचायत बावडी द्वारा दिनांक 20–9–2001 को स्वीकृत किया गया । उक्त नामांतरकरण संख्या 36 के विरूद्ध मृतक खातेदार सायरचंद के 2 पुत्रो वर्तमान रेस्पो0 संख्या 1 महावीरचंद एवं रेस्पो0 संख्या 2 विनोद ने उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ के समक्ष एक अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत पेश की जिसमे मृतक खातेदार सायरचंद द्वारा उनके पक्ष मे एक वसीयत दिनांक 28–7–94 को करना बताया तथा उपरोक्त खातेदारी की भूमि वसीयत के आधार पर उनके नाम दर्ज करने की इस्तदुआ की । जिस पर उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ ने उनके निर्णय दिनांक 4–4–2011 के द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत प्रथम अपील को स्वीकार करते हुए सरपंच ग्राम पंचायत बावडी द्वारा नामांतरकरण संख्या 36 पर पारित स्वीकृति आदेश दिनांक 20–9–2001 को खारीज करते हुए प्रकरण तहसीलदार भोपालगढ को उक्त अपीलाधीन भूमि का नामांतरकरण वसीयतनामा दिनांक 28–7–94 के अनुसार महावीरचंद एवं विनोद के

अति० सरकारीय आयुक्त
जोधपुर

नाम दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये । रेकर्ड पर उपलब्ध वसीयतनामे के दस्तावेज के अवलोकन से यह प्रकट है कि स्व0 खातेदार सायरचंद द्वारा अपने दो पुत्रो वर्तमान अपील के रेस्पो0 संख्या 1 व 2 के पक्ष मे दिनांक 28–7–94 को निष्पादित वसीयत का दस्तावेज अनरजिस्टर्ड है जिसको विधिवत प्रमाणित करवाया जाना आवश्यक था । वसीयत के प्रमाणित करवाये बिना उसके आधार पर नामांतरकरण दर्ज करने का आदेश पारित नही किया जा सकता था तथा उपखण्ड अधिकारी द्वारा पारित किये गये उक्त आदेश की पालना मे स्वीकृत हुआ नामांरतरकरण संख्या 891 भी विधिसम्मत नही माना जा सकता है ।

उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ द्वारा पारित किये गये आदेश दिनांक 4–4–2011 के विरूद्ध न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जोधपुर के समक्ष प्रस्तुत द्वितीय अपील मे दिनांक 7–1–2013 को पारित किये गये निर्णय मे वर्सीयत के आधार पर नामांतरकरण स्वीकृति से पूर्व निर्धारित प्रकिया के तहत वसीयत को प्रमाणिकरण करवाया जाना आवश्यक बताया जिसमे वसीयत के गवाहो से साबित करवाया जाना आवश्यक बताते हुए उनके समक्ष प्रस्तुत द्वितीय अपील को स्वीकार करते हुए अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ द्वारा पारित किये गये निर्णय दिनांक 4–11–2011 को निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया कि अपीलांट्स एवं रेस्पो0 को सुनवाई एवं साक्ष्य सबूत तथा दस्तावेजात आदि प्रस्तुत करने का समुचित अवसर देते हुए पुनः नये सिरे से विधिसम्मत नामांतरकरण की कार्यवाही करें ।

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जोधपुर द्वारा पारित किये गये उक्त रिमाण्ड आदेश दिनांक 7–1–2013 की पालना मे तहसीलदार बावडी द्वारा सम्पन्न की गई कार्यवाही बाबत तहसीलदार बावडी की पत्रावली 3/2013 का अवलोकन करने से यह प्रकट है कि तहसीलदार बावडी ने आदेशिका दिनांक 6–3–2013 से प्रकरण दर्ज कर पक्षकारान को नोटिस जारी करने का आदेश पारित किया तथा पत्रावली आयंदा दिनांक 28–3–13 को रखी गई तथा दिनांक 28–3–13 प्रथम आदेशिका मे ही एक प्रार्थी कन्हैयालाल के बयान लिये गये तथा शेष पक्षकारान बावजुद सूचना के अनुपस्थित बताते हुए पत्रावली को निर्णय हेतु दिनांक 8–4–13 को रखते हुए उसी दिन निर्णय पारित करते हुए ग्राम बावडी के नामांतरकरण संख्या 891 जो वसीयत के आधार पर स्वीकृत किया गया था, उसे खारीज करते हुए उतराधिकार के नामांतरकरण संख्या 36 पर ग्राम पंचायत बावडी द्वारा पारित आदेश दिनांक 20–9–2001 को यथावत रखने बाबत आदेश पारित कर दिया, तथा पत्रावली फेसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर के आदेश पारित कर दिये ।

उसके बाद तहसीलदार बावडी के समक्ष रेस्पो0 विनोद द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर उनके द्वारा पूर्व पारित आदेश दिनांक 8–4–2013 को रिव्यु करते हुए पत्रावली को पुनः आदेशिका दिनांक 25–6–13 से पेशी पर ली गई तथा उसके

अति० संभागीय आयुक्त
जोधपुर

बाद की आदेशिकाओं अनुसार पत्रावली बयान एवं साक्ष्य सबूत पेश करने मे दिनांक 15–7–15 तक चलती रही, उसके बाद पत्रावली बहस मे रखते हुए पत्रावली मे दिनांक 26–2–2016 को उनके द्वारा पूर्व मे पारित किये गये निर्णय दिनांक 8–4–2013 को निरस्त किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय दिनांक 26–2–2016 के द्वारा पूर्व के निर्णय को पलटते हुए वसीयत को प्रमाणित करवाये बिना ही वसीयतनामे के आधार पर पूर्व मे स्वीकृत नामांतरकरण संख्या 891 को बहाल रखने का आदेश पारित कर दिया, जो विधिसम्मत नही होने से उसे बहाल रखा जाना न्यायोचित नही है ।

वर्तमान स्थिति अनुसार अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बावडी द्वारा एक ही अपीलाधीन भूमि के संबंध मे दो पृथक पृथक आदेश क्रमशः दिनांक 8–4–2013 एवं 26–2–2016 को जारी किये हुए है और दोनो ही आदेश अभी प्रभावी है जिनमे से प्रथम आदेश के द्वारा म्युटेशन संख्या 36 विरासत का भरा जाकर स्वीकृत किया गया था उसे अधीनस्थ न्यायालय ने सही माना है तथा द्वितीय आदेश जिसके द्वारा वसीयतनामे के आधार पर म्युटेशन संख्या 891 भरा जाकर स्वीकृत किया गया था, उसे सही मानते हुए उसके अनुसार मौजुदा स्थिति यथावत रखे जाने के आदेश दिये गये है, जो दोनो विरोधाभासी होने से अपीलाधीन आदेश को बहाल रखा जाना न्यायोचित नही है ।

परिणामस्वरूप अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बावडी द्वारा क्रमशः दिनांक 8–4–2013 एवं दिनांक 26–2–2016 को पारित किये गये दोनो निर्णय निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार बावडी को न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जोधपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 7–1–2013 मे दिये गये विवेचन एवं निर्देशो की पालना करते हुए पुनः विधिसम्मत नामांतरकरण की कार्यवाही करने हेतु प्रकरण रिमाण्ड किया जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 8–2–2021 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(अरूण पुरोहित)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर